कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, बालोद जिला बालोद (छ0ग0)

दूरभाष क्रमांक – 07749–299056 **E-Mail – dlsa.balod@gmail.com**

//आदेश//

क्रमांक/.....10...../स्था0/जि0वि0से0प्रा0/2025 बालोद, दिनांक– 17.07.2025

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम बालोद हेतु स्टाफ अतिरिक्त रूप में कार्यालय सहायक के 01 पद एवं कार्यालय भृत्य के 01 पद हेतु चयनित सूची को नालसा लीगल डिफेस कौंसिल सिस्टम संसोधित योजना 2022 की कंडिका 04 के अनुसार पूर्णतया संविदात्मक अनुबंध नियुक्ति किये जाने हेतु अनुमोदित कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र कमांक 2012/LADCS-23-05/2024 बिलासपुर दिनांक 15.07.2025 के अनुसार किये गये अनुमोदन के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद एवं एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (रिटेनरशिप) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से **दिनांक 14.07.2025 से दिनांक 15.07.2026 तक की अवधि तक के लिए, पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति किये जाने हेतु** निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:–

क.	चयनित उम्मीदवर का नाम, पिता का नाम एवं पता	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय(रिटेनशिप) की राशि
01.	श्री रामकृष्ण साहू पिता श्री विष्णु साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क0 02 रेलवे कॉलोनी बालोद, जिला बालोद छ0ग0	कार्यालय सहायक/क्लर्क(संविदा)	15000/– प्रतिमाह
02.	श्री नागेश्वर मंडावी पिता श्री रामखिलावन मंडावी, उम्र 24 वर्ष, निवासी दुर्गा मंदिर के पास आर्य नगर कोहका, वार्ड क0 12 सड़क–9 ब्लॉक–ए सुपेला भिलाई, जिला दुर्ग छ0ग0	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेण्डेंट) (संविदा)	9000/– प्रतिमाह

नियुक्ति की शर्ते :– उपरोक्त चयनित उम्मीदवार **दिनांक 31.07.2024 के सायं 05:00 बजे** तक अपने पद का कार्यभार करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

1. चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

2. चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

3. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन का भुगतान कर उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त किया जावेगा।

4. लीगल एड डिफेंस कौसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डॉटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य/मुंशी की नियुक्ति पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल/कार्यवधि नालसा के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान में एक वर्ष के लिए अर्थात दिनांक 14.07.2025 से 15.07.2026 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

5. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र कमांक एल/20/2019–नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र कमांक F-N-L/20/2019/NALSA dated 11–02–2023 एवं पत्र क्रमांक पत्र कमांक F-N-L/20/2019/NALSA dated 14–02–2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेगें, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक/राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

6. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।

7. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F-No- L/27/2022-NALSA(Part File)/4678-4714 dated 27th March, 2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार को दावा नहीं करेगा। उपरोक्त संविदा नियुक्ति में प्राप्त एकमुश्त संविदा भुगतान, मानदेय के रूप में है, या रिटेनरशिप के आधार पर है, वेतनभोगी के रूप में नहीं है।

17.7.25

(एस0एल0 नवरत्न)
प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–बालोद (छ.ग.)

पृष्ठांकन कमांक/ 507 /जि0वि0से0प्रा0/2025, बालोद, दिनांक– 17.07.2025

01. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

02. श्रीमान् अध्यक्ष, भर्ती एवं चयन समिति, जिला न्यायालय बालोद को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

03. चीफ, लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम बालोद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04. चयनित अभ्यर्थी श्री रामकृष्ण साहू पिता श्री विष्णु साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क0 02 रेलवे कॉलोनी बालोद, जिला बालोद छ0ग0 पिन कोड 491226 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05. चयनित अभ्यर्थी श्री नागेश्वर मंडावी पिता श्री रामखिलावन मंडावी, उम्र 24 वर्ष, निवासी दुर्गा मंदिर के पास आर्य नगर कोहका, वार्ड क0 12 सड़क–9 ब्लॉक–ए सुपेला भिलाई, जिला दुर्ग छ0ग0 पिन कोड 490023 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(भारती कुलदीप)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला–बालोद (छ.ग.)